

**न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़,**  
**सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)**

:: संशोधित विविध आदेश ::

क्रमांक क/मु.न्या.मजि./2024

खैरागढ़, दिनांक 10.12.2024

**माह दिसम्बर 2024** के अवकाश के दिवसों में रिमांड एवं अत्यावश्यक आपराधिक कार्यों के संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटों की रिमांड ड्यूटी लगाई जाती है –

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नाम	रिमांड ड्यूटी की तिथि
1.	विवेक गर्ग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	14, 15, 21, 22 दिसम्बर
2.	श्री गुरुप्रसाद देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव(छ.ग.)	01, 08, 18, 25, 29 दिसम्बर

**टीप –**

1. उक्त अवकाश दिवसों के अतिरिक्त यदि राज्य शासन या माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा कोई आकस्मिक अवकाश घोषित किया जाता है, ऐसी स्थिति में –

(i) दिनांक 01.12.2024 से दिनांक 31.12.2024 के मध्य अवकाश की दशा में श्री गुरुप्रसाद देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़, सिविल जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के द्वारा अत्यावश्यक रिमांड कार्य का संपादन किया जावेगा।

(ii) विवेक गर्ग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़, सिविल जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के अपनी रिमांड ड्यूटी दिनांक को अवकाश पर रहने पर श्री गुरुप्रसाद देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़, सिविल जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के द्वारा रिमांड ड्यूटी का निष्पादन किया जावेगा। इसी प्रकार श्री गुरुप्रसाद देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़, सिविल जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के अपनी रिमांड ड्यूटी दिनांक को अवकाश पर रहने पर विवेक गर्ग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़, सिविल जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के द्वारा रिमांड ड्यूटी का निष्पादन किया जावेगा।

(iii) उपरोक्त रिमांड ड्यूटी न्यायालय के कर्मचारीगण आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर ड्यूटी न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ कार्य संपादित करेंगे।

सही /—

(विवेक गर्ग)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़  
सिविल जिला—राजनांदगांव (छ.ग.)

पृष्ठां. क्रमांक क/मु.न्या.मजि./2024

खैरागढ़, दिनांक 10.12.2024

प्रतिलिपि —

- 1) माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2) श्री ईशान व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छुईखदान, सिविल जिला—राजनांदगांव (छ.ग.)
- 3) श्री गुरुप्रसाद देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़, सिविल जिला—राजनांदगांव (छ.ग.)
- 4) निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़, सिविल जिला—राजनांदगांव(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5) अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, सिविल जिला—राजनांदगांव (छ.ग.)
- 6) नायब नाजिर, व्यवहार न्यायालय खैरागढ़, सिविल जिला—राजनांदगांव (छ.ग.)

सही /—

(विवेक गर्ग)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़  
सिविल जिला—राजनांदगांव (छ.ग.)